

# NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.  
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 80 /NCRES/19

Date : 07.03.2019

श्रीमान मुख्य कार्मिक अधिकारी  
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद


विषय:- RBE 158/2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में।  
सन्दर्भ :- NCRES का पी.एन.एम. मद संख्या 18/11/2018

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 01.01.2006 के बाद विभिन्न पदों पर प्रमोट हुये कर्मचारियों को सीधी भर्ती से आये कर्मचारियों के बराबर वेतन दिये जाने हेतु रेलवे बोर्ड ने RBE 158/2018 जारी किया था परन्तु इलाहाबाद मंडल द्वारा दिनांक 15.07.2014 को GP-4600 में प्रमोट हुये एस.एस.ई (सिगनल), दिनांक 26.11.2009 को GP-4600 में प्रमोट हुये एस.एस.ई. टेली, दिनांक 11.02.2011 को GP-2400 में प्रमोट हुये ESM/II आदि सहित अन्य कैटेगिरी में पात्र कर्मचारियों को वेतन निर्धारण का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 23/24 जनवरी 2019 को PNM बैठक में NCRES को बताया गया था कि उपरोक्त संदर्भित मद सं० 18/11/2018 पर कर्मचारियों को वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है परन्तु खेद का विषय है कि लगभग डेढ़ माह बीत जाने के बावजूद अभी तक इलाहाबाद मंडल द्वारा किसी का भी वेतन निर्धारण नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि RBE 158/2018 का क्रियान्वयन इलाहाबाद मंडल के S&T विभाग में दिनांक 15.07.2014 को GP-4600 में प्रमोट हुये एस.एस.ई. (टेली), दिनांक 26.11.2009 को GP-4600 में प्रमोट हुये एस.एस.ई. सिगनल, दिनांक 11.02.2011 को GP-2400 में प्रमोट हुये ESM/II सहित अन्य कैटेगिरी में जल्द से जल्द कर वेतन निर्धारण का ऐरियर सहित लाभ देने हेतु उचित आदेश करने का कष्ट करें।

  
(आर. पी. सिंह)  
महामंत्री